

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 580]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2026 — अश्विन 15, शक 1948

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 अक्टूबर 2026

अधिसूचना

क्रमांक RULE/170/2025-HOUSING.— छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 85 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 24 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- नियम 38 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् : —

“(1) विभिन्न भूमि उपयोग श्रेणियों में निषिद्ध गतिविधियाँ : विभिन्न भूमि उपयोग अंतर्गत ऐसी समस्त गतिविधियाँ अनुमत मानी जाएंगी जिन्हें संबंधित भूमि उपयोग श्रेणी हेतु विनिर्दिष्ट निषिद्ध गतिविधियों की सूची के अंतर्गत प्रतिबंधित न किया गया हो। विभिन्न भूमि उपयोग श्रेणियों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निषिद्ध गतिविधियों की सूची निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) अनुसार होगी :—

विभिन्न भूमि उपयोग श्रेणियों में निषिद्ध गतिविधियाँ

स. क्र.	भूमि उपयोग	सामान्यतः निषिद्ध गतिविधियाँ
(1)	(2)	(3)
1.	आवासीय	हरित, नारंगी, लाल एवं नीले श्रेणी के उद्योग, गोदाम, बूचड़खाने, कबाड़खाने, संक्रामक रोग अस्पताल, कारागार, बड़े परिवहन टर्मिनल, थोक व्यापार, तेल डिपो, पेट्रोलियम एवं ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण, गैस गोदाम, पशु पालन एवं मछली पालन, दुग्ध उत्पादन एवं कुक्कुट पालन, दाह संस्कार/कब्रिस्तान संबंधित गतिविधियाँ, खनन गतिविधियाँ ।
2.	वाणिज्यिक	नारंगी, लाल एवं नीले श्रेणी के उद्योग, खतरनाक/विषाक्त रसायनों का भंडारण, विस्फोटक भंडारण, पशु पालन एवं मछली पालन, दुग्ध उत्पादन एवं कुक्कुट पालन, दाह संस्कार/कब्रिस्तान संबंधित गतिविधियाँ, खनन गतिविधियाँ ।
3.	औद्योगिक	पूर्णतः आवासीय टाउनशिप (अनुमत कर्मचारी आवास, छात्रावास एवं शयनागार को छोड़कर), विद्यालय, संक्रामक रोग अस्पताल, कारागार, बड़े परिवहन टर्मिनल, थोक व्यापार, तेल डिपो, पेट्रोलियम एवं ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण, गैस गोदाम, पशु पालन, डेयरी और कुक्कुट पालन, असंबंधित वाणिज्यिक मनोरंजन उपयोग, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील उपयोग, दाह संस्कार/कब्रिस्तान संबंधित गतिविधियाँ ।

4.	सार्वजनिक तथा अर्ध-सार्वजनिक	पूर्णतः आवासीय टाउनशिप (अनुमत कर्मचारी आवास को छोड़कर), भारी वाणिज्यिक, हरित, नारंगी एवं लाल श्रेणी के उद्योग, खतरनाक पदार्थों का भंडारण, असंबंधित वाणिज्यिक दोहन, थोक बाजार, थोक व्यापार, बूचड़खाने, कबाड़खाने, खनन गतिविधियाँ, तेल डिपो, पेट्रोलियम और ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण, गैस गोदाम, पशु पालन, कुक्कुट पालन, गोदाम ।
5.	परिवहन	आवासीय बस्तियाँ, खतरनाक रसायनों का भंडारण, असंगत वाणिज्यिक गतिविधियाँ, नारंगी, लाल एवं नीले श्रेणी के उद्योग, खनन गतिविधियाँ, पशु एवं मछली पालन, दुग्ध उत्पादन एवं कुक्कुट पालन, दाह संस्कार/कब्रिस्तान संबंधित गतिविधियाँ ।
6.	आमोद-प्रमोद	आवासीय बस्तियाँ, समस्त उद्योग, वाणिज्यिक परिसर, खनन गोदाम, प्रदूषणकारी वाणिज्यिक गतिविधियाँ, खनन गतिविधियाँ, खतरनाक भंडारण, असंबंधित वाणिज्यिक शोषण, थोक बाजार, तेल डिपो, पेट्रोलियम एवं ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण, गैस गोदाम, पशु पालन, कुक्कुट पालन, दुग्ध उत्पादन ।
7.	कृषि	आवासीय अभिन्यास (किफायती जन आवास एवं एकीकृत उपनगर को छोड़कर), वाणिज्यिक परिसर, बड़े वाणिज्यिक परियोजनाएं, खतरनाक वाणिज्यिक उपयोग, नारंगी एवं लाल श्रेणी के उद्योग, उच्च घनत्व वाली आवासीय योजनाएं, बड़े मॉल ।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 अक्टूबर 2026

क्रमांक RULE/170/2025-HOUSING.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07/10/2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 7th October 2026

NOTIFICATION

No. RULE/170/2025-HOUSING.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 24 read with sub-section (1) of Section 85 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

- For sub-rule (1) of rule 38, the following shall be substituted, namely :-

"(1) Prohibited activities in different land use categories: All activities under various land uses shall be considered permissible unless they are restricted under the list of prohibited activities specified for the respective land use category. The list of prohibited activities specified under different land use categories shall be according to column (3) of the following table :-

Prohibited activities in different land use categories

S. No.	Land use	Generally prohibited activities
(1)	(2)	(3)
1.	Residential	Green, orange, red and blue category industries, warehouses, slaughterhouses, junkyards, infectious disease hospitals, prisons, large transport terminals, wholesale trade, oil depots, storage of petroleum and inflammable materials, gas warehouses, animal husbandry and fish farming, milk production and poultry farming, cremation/cemetery-related activities, mining activities.

2.	Commercial	Industries in the orange, red, and blue categories, storage of hazardous/toxic chemicals, storage of explosives, animal husbandry and fish farming, milk production and poultry farming, cremation/cemetery-related activities, mining activities.
3.	Industrial	Fully residential township (excluding approved staff housing, hostels and dormitories), school, infectious disease hospital, prison, major transport terminal, wholesale trade, oil depot, storage of petroleum and inflammable materials, gas warehouse, animal husbandry, dairy and poultry farming, unrelated commercial entertainment use, environmentally sensitive use, cremation/cemetery-related activities.
4.	Public & Semi-public	Fully residential township (except approved staff housing), heavy commercial, green, orange and red category industries, storage of hazardous materials, unrelated commercial exploitation, wholesale markets, wholesale trading, slaughterhouses, scrap yards, mining activities, oil depots, storage of petroleum and flammable materials, gas warehouses, animal husbandry, poultry farming, warehouses.
5.	Transportation	Residential settlements, storage of hazardous chemicals, inconsistent commercial activities, orange, red and blue category industries, mining activities, animal husbandry and fish farming, dairy production and poultry farming, cremation/cemetery-related activities.
6.	Recreational	Residential colonies, all industries, commercial complexes, warehouses, polluting commercial activities, mining activities, hazardous storage, unrelated commercial exploitation, wholesale markets, oil depots, storage of petroleum and flammable materials, gas warehouses, animal husbandry, poultry farming, dairy production.
7.	Agriculture	Residential layouts (except affordable housing and integrated townships), commercial complexes, large commercial projects, hazardous commercial uses, industries in orange and red categories, high-density residential schemes, large malls."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEVENDRA SINGH BHARDWAJ, Special Secretary.